

भाग-III
संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहां की भूमि शामिल की गई है, क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तिथि और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं।
15	क्या मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	सतपुडा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य अंतर्गत वनग्राम सुपलई भाग-4 को वनमण्डल (सामान्य) होशंगाबाद के परिक्षेत्र सोहागपुर के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-273, रकबा 79.939 हेक्टेयर वनभूमि में पुनर्वास/विस्थापित किये जाने से वन्यप्राणियों को वनक्षेत्र में विचरण करने/रहवास हेतु अधिकतम आरक्षित वनक्षेत्र प्राप्त होगा। अतः उक्त विस्थापन/पुनर्वास की मेरे द्वारा अनुशंसा की जाती हैं।

(आर.पी.राय)
मुख्य वन संरक्षक
होशंगाबाद

भाग-III
संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहां की भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तिथि और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं।
15	क्या वन संरक्षक, उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल होशंगाबाद द्वारा सतपुडा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य अंतर्गत वनग्राम-सुपलई के विस्थापन के फलस्वरूप वनमण्डल होशंगाबाद के परिक्षेत्र सोहागपुर के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-225 के अंतर्गत 100.00 हेक्टेयर वनभूमि में ग्राम-सुपलई भाग-III को नवीन पुनर्वास के लिये प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित वनभूमि में नवीन बसाहट हेतु सहमत हूं।

(आर.पी.सय)
मुख्य वन संरक्षक
होशंगाबाद


भाग-III
संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहां की भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तिथि और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	विवरण संलग्न हैं।
15	क्या वन संरक्षक, उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	वनमण्डलाधिकारी होशंगाबाद ने क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व होशंगाबाद म0प्र0 द्वारा वनग्राम-सुपलई भाग-2 के विस्थापन के फलस्वरूप वनमण्डल होशंगाबाद के परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-179 के अंतर्गत 50.00 हेक्टेयर वनभूमि में नवीन पुर्नवास के लिये प्रस्तावित किया है, जिसकी अनुशंसा की गई। प्रस्तावित वनभूमि में नवीन बसाहट के लिये सहमत हूं।

(आर.पी.राय)
मुख्य वन संरक्षक
होशंगाबाद

भाग-III
संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहां की भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तिथि और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	विस्तृत विवरण संलग्न हैं।
15	क्या वन संरक्षक, उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	वनमण्डलाधिकारी होशंगाबाद ने क्षेत्र संचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र. द्वारा वनग्राम-सुपलई भाग-1 के विस्थापन के फलस्वरूप वनमण्डल होशंगाबाद के परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-174 के अंतर्गत 110.00 हेक्टेयर वनभूमि में नवीन पुनर्वास के लिये प्रस्तावित किया है, जिसकी अनुशंसा की गई। प्रस्तावित वनभूमि में नवीन बसाहट के लिये सहमत हूं।


(आर.पी.राय)
मुख्य वन संरक्षक
होशंगाबाद